बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0 सं0–1/अनु0जनजाति (खड़िया विद्या0)–16–01/2009– 12

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, (भा0प्र0से0)

निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,

जमुई/मुंगेर।

पटना, दिनांक – 25.05.18

विषयः–वित्तीय वर्ष–2018–19 में अनु0 जनजातियों के लिए विशेष योजनान्तर्गत संचालित दिवाकालीन खड़िया प्राथमिक/अपर प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के स्थाई पदों के संधारण हेतु वेतन भत्ते मद में कुल रु0 11,85,000/–(ग्यारह लाख पच्चासी हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष–2018–19 में अनु0 जनजातियों के लिए विशेष योजनान्तर्गत संचालित दिवाकालीन खड़िया प्राथमिक/अपर प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के स्थाई पदों के संधारण हेतु वेतन एवं भत्ते मद में पूरे वर्ष के लिए कुल **रु0 11,85,000/–(ग्यारह लाख पच्चासी हजार रूपये)** मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है।

क्रमांक	विद्यालय का नाम एवं जिला	वेतन	जी0या0 भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कुल आवंटित राशि (रु0 में)
1.	दिवाकालीन आदिवासी कल्याण प्राथमिक खड़िया विद्यालय, मोतीतरी, मुंगेर।	5,00,000	50,000	30,000	12,000	5,92,500
2.	दिवाकालीन आदिवासी कल्याण प्राथमिक खड़िया विद्यालय, तमकूलिया, बरहट, जमुई।	5,00,000	50,000	30,000	12,000	5,92,,500
	कुल योग	10,00,000	1,00,000	60,000	24,000	11,85,000

(ग्यारह लाख पच्चासी हजार रूपये) मात्र

2. कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष–"2225–अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–02–अनु0 जनजातियों का कल्याण–लघुशीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0013 खड़िया एवं अन्य आदिम जातियों के कल्याण के निमित विशेष योजनाएँ, विषय शीर्ष–0013.01.01–वेतन, 0013.01.03–जीवन यापन भत्ता, 0013.01.04–मकान किराया भत्ता, 0013.01. 06– चिकित्सा भत्ता, मांग संख्या–44 विपत्र कोड–442225022770013 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी जमुई एवं मुंगेर होंगे। उप विकास आयुक्त जमुई एवं मुंगेर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी योजना से संबंधित व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

4. वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः वित्त विभाग के इस परिपत एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों तथा वित्त विभाग के आलोक में आवांटित राशि का निकासी एवं व्यय किया जायेगा। आवंटन के अनुरूप ही व्यय विवरणी प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जायेगा।

5. प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, मुंगेर आवंटित राशि के व्यय की गहन समीक्षा कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को दी जा रही है।

7. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)

निदेशक।

ज्ञापांक–1 / अनु0जनजाति (खड़िया विद्या0)–16–01 / 2009– 19 पटना, दिनांक– 25.05.18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा / उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / जिला कोषांगार पदाधिकारी, जमुई एवं मुंगेर / संबंधित उप कोषांगार पदाधिकारी / प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर / जिला पदाधिकारी, जमुई एवं मुंगेर / उप विकास आयुक्त, जमुई एवं मुंगेर / प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, मुंगेर / संबधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक / सांख्यिकी कोषांग / आई0टी0मेनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 25/5/18